राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः– निसंशि/शैक्ष– I/पं.152/2018/ 7078-7155 दिनांकः– 19/02/2018

सचिव/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
निजी शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान

विषयः–सत्र 2018–19 के लिए एनसीटीई से शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता आदेश जारी हुये है तो राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भः–श्रीमती जानकी देवी टी.टी. कॉलेज याचिका संख्या 6237/2014 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 02.09.2016 की पालना में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि जिन संस्थाओं/विश्वविद्यालयों ने NCTE में शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2017–18 में आवेदन किया है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, शास्त्री–शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) सत्र 2018–19 के लिए मान्यता आदेश जारी हो चुके हो तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2016 की पालना में काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने बाबत निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में निम्नांकित दिनांक तक पत्रावली प्रस्तुत करें। पत्रावली में निम्नाकिंत दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें। निर्धारित दिनांक के पश्चात् पत्रावली विभाग में प्राप्त होती है या कमीपूर्ति की पालना नहीं होती है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी।

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में अनापति प्रमाण पत्र हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.03.2018
राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आदेश जारी करने की अंतिम तिथि	30.03.2018

1. एनसीटीई का मान्यता आदेश की प्रति।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क रू 30000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट "निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर" के नाम।
3. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में रू 15000/–जमा की रसीद।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज (एनसीटीई के मानदण्डानुसार)
5. महाविद्यालय भूमि का भू–रूपान्तरण (संपरिवर्तन) आदेश की प्रति।
6. महाविद्यालय का ब्लू प्रिन्ट सक्षम अधिकारी (सरकारी अभियन्ता) से प्रमाणित प्रति।
7. महाविद्यालय का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सत्र 2017–18 के लिए।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ की सूची (एनसीटीई मानदण्डानुसार)
9. अशैक्षणिक स्टाफ सूची (एनसीटीई मानदण्डानुसार)
10. कमरों की संख्या एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाण पत्र।
11. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या।
12. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी एनओसी की प्रति।
13. पूर्व संचालित महाविद्यालय का साक्ष्य (राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी आदेश की प्रति) केवल एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई, जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
4. प्रभारी वेबसाईट निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. भास्कर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर